

राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

पत्रांक :

/रा.नि.आ.-3/1379/2013

दिनांक 5-4-2013

..

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सामान्य प्रशासन,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

राज्य निर्वाचन आयोग: अनुभाग-3 : देहरादून

विषय:- राज्य के समस्त नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु मतदान दिवस दिनांक 28 अप्रैल, 2013 को अवकाश घोषित किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त परिपेक्ष्य में अवगत कराना है कि राज्य के समस्त नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2013 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-58 एवं 59/रा0नि0आ0अनु0-3/1379/2013 दिनांक 05 अप्रैल 2013 को जारी की जा चुकी है जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है।

2. इस संबंध में कहना है कि आयोग की उक्त अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट मतदान दिवस दिनांक 28 अप्रैल, 2013 को राज्य के समस्त नागर स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं/अर्द्धनिकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों को अवकाश घोषित करने का कष्ट करें एवं तदानुसार कृत कार्यवाही से राज्य निर्वाचन आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 87 /रा0नि0आ0-3/1379/2013 तददिनांक(फ़ैक्स)।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, शहरी एवं नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निकाय) उत्तराखण्ड।

(एच0बी0थपलियाली)
सचिव।